

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-1/गोप्र0) विभाग

कमांक प. 13(76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011

जयपुर,दिनांक: 28 FEB 2018

—:परिपत्र:—

विषय:— समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन संशोधित IPR भरने के सम्बन्ध में।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.12.17 के द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष 2017 (1 जनवरी 2018 की स्थिति में ) अपना अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भरा जाना था। अचल सम्पत्ति विवरण भरने हेतु समयावधि 15 मार्च 2018 तक बढ़ायी जाती है। साथ ही जिन अधिकारियों द्वारा IPR भरते समय सहवन से गलत प्रविष्टियां अंकित कर दी गयी थी। वे सभी अधिकारी इस अवधि में संशोधित प्रविष्टियां अंकित कर ऑन-लाईन संशोधित IPR भर सकेंगे।

DD(A)  
ACR

Gik  
6/3/18

(अरविन्द पोसवाल)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
- 2.प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 3.वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
- 4.समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / उप शासन सचिव।
- 5.समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
- 6.समस्त संभागीय आयुक्त।
- 7.समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
- 8.प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित।
- 9.एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।

(अरविन्द पोसवाल)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :-

- 1.सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर।
- 2.सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 3.पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- 4.अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।
- 5.सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
- 6.पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर।
- 7.निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
- 8.समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर राजस्थान।
- 9.रक्षित पत्रावली।


(अरविन्द पोसवाल)  
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
कृषि निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.2 (9) नि.कृ./गो.प्र./2016-17/2068-2168 दिनांक 06/3/18

संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग से प्राप्त परिपत्र दिनांक 28.10.2018 की प्रति अधोलिखित अधिकारियों को पृष्ठांकित कर लेख है कि परिपत्र में वर्णित निर्देशों की समय पर पालना सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करावें:-

1. आयुक्त सीएडी, कोटा
2. निदेशक जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर
3. निदेशक, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान, जयपुर
4. प्रबन्ध निदेशक, राज0 राज्य बीज निगम लि0 जयपुर
5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान
6. निदेशक, राज्य स्तरीय कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर
7. निदेशक, समेती, दुर्गापुरा, जयपुर
8. निदेशक उद्यान, उद्यान विभाग, जयपुर
9. संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड (समस्त)
10. समस्त उप/सहायक निदेशक कृषि(विस्तार)
11. समस्त राजपत्रित अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, जयपुर
11. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कृषि आयुक्तालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग से प्राप्त पत्र विभागीय वेबसाइट पर शीघ्रातिशीघ्र अपलोड कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अपलोड कर अवगत करावें ।

  
(सोमेन्द्र शर्मा)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)